

26/03/2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील  
 उपाहित नहीं। प्रार्थी वकील को बार-बार  
 शावाज लगावाई गई। लेकिन उपाहित  
 नहीं। प्रार्थी वकील को आवश्यक जानकारी-पुन  
 पेश करने पर पूर्व में आवसर दिए  
 जा चुके हैं। अब और आवसर दिए  
 जाना उचित नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना  
 पत्र अंशम एमरे हाजरी अंशम परवी  
 में खरिज किया जाता है।

पत्रावली कुलल सुभार हउ  
 वकील वफा हो

